


03 प्रतिशोध की ज्वाला: मां सीता के पूर्वजन्म देवी देववती और रावण का अंत

06 कृत्रिम रोशनी की चकाचौंध के खतरे

08 दो सप्ताह का डेयरी प्रशिक्षण कोर्स, काउंसिलिंग 5 जनवरी से शुरू - डिप्टी डायरेक्टर

प्रदूषण घटा, फिर भी टैक्सी-ट्रैवलर पर पाबंदी क्यों? ट्रांसपोर्ट्स ने CAQM से की GRAP-3 हटाने की मांग



लेखक:- संजय कुमार बाटला
परिवहन नीति और सार्वजनिक हित मामलों पर विशेषज्ञ पत्रकार। पिछले एक दशक से सड़क सुरक्षा, स्वच्छ परिवहन और तकनीकी नवाचार से जुड़ी नीतियों पर गहन विश्लेषण और रिपोर्टिंग करते हैं।



स्पष्टीकरण:- GRAP क्या है?

पूरा नाम: Graded Response Action Plan (GRAP)
लागू क्षेत्र: दिल्ली व एनसीआर

क्या है: GRAP एक चरणबद्ध (graded) कार्य योजना है जो वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर के अनुसार लागू की जाती है। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर 2017 में लागू किया गया था।

मुख्य उद्देश्य:

- * प्रदूषण बढ़ने पर त्वरित नियंत्रण उपाय लागू करना।
- * निर्माण, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों में तात्कालिक सुधार।
- * वायु गुणवत्ता सुधारने पर चरणबद्ध रूप से पाबंदियाँ हटाना।

स्टेज-3 (Severe):

जब AQI 401 से ऊपर चला जाए तो Stage-3 लागू होती है, जिसके तहत गैर - बीएस6 डीजल वाहनों, डीजल जेनरेटर्स और निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई जाती है।

GRAP-3 और दिल्ली की वायु गुणवत्ता

GRAP-3 के प्रमुख प्रावधान*
* लागू तब होता है जब AQI 'Severe' स्तर (401+) पर पहुँच जाए।
* डीजल LMV (BS-6 से नीचे) वाहनों के संचालन पर रोक।
* निर्माण गतिविधियाँ, मिट्टी ढुलाई, और डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध।
* केवल स्वीकृत ईंधन (PNG/बिजली) का उपयोग अनिवार्य।

* नगर निगम व ट्रैफिक पुलिस को धूल नियंत्रण के लिए विशेष निर्देश।

वर्तमान वायु गुणवत्ता - दिल्ली-एनसीआर*

(जनवरी 2026, सप्ताह 1)
तिथि: औसत AQI | श्रेणी | प्रमुख प्रदूषक।
| 30 दिसंबर - 355 - Very Poor - PM2.5 |
31 दिसंबर	290	Poor	PM2.5
1 जनवरी	215	Moderate-Poor	PM2.5
2 जनवरी	198	Moderate	PM2.5
संक्षेप: AQI में लगातार सुधार के बावजूद GRAP-3 अभी लागू है। विशेषज्ञों का मत है कि नीति की समीक्षा वास्तविक समय के AQI के अनुसार होनी

चाहिए ताकि व्यवसाय और पर्यावरण का संतुलन बना रहे।

दिल्ली टैक्सी ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने आज वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली - एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिसांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-3 को तत्काल हटाने की मांग की है। इस सिलसिले में एसोसिएशन ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के सदस्य सचिव श्री तरुण कुमार पिथौरा को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब काबू में है, इसलिए पर्यटक टैक्सियों और टैम्पो ट्रैवलर्स पर लगी रोक अन्यायपूर्ण है। एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और CAQM द्वारा प्रदूषण के नाम पर मुख्य रूप से ट्रैक्टर टैक्सियों (LMV) और

टैम्पो ट्रैवलर मालिकों को निशाना बनाया जा रहा है।

उनका आरोप है कि डीजल BS-3 और BS-4 मॉडल की ऑल इंडिया ट्रैक्टर परमिट गाड़ियों को जान बूझकर दिल्ली - एनसीआर में रोका जा रहा है और उन पर 20 हजार रुपये तक के चालान किए जा रहे हैं। संस्था का कहना है कि दिल्ली - एनसीआर में इस समय औसत AQI लगभग 200 के आसपास है, जो पिछले कुछ सप्ताहों की तुलना में काफी कम है। प्रदूषण के असली कारण - पराली जलाना, निर्माण स्थलों की धूल और पटाखों से फैलने वाला धुआँ - अब भी अनियंत्रित हैं। इसके बावजूद ट्रैक्टर वाहनों पर पाबंदी जारी रखकर सरकार और संस्थाएं अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही हैं।

एसोसिएशन ने मांग की है कि BS-3 और BS-4 डीजल टैक्सियों-टैम्पो ट्रैवलर को GRAP के दायरे से स्थायी रूप से बाहर रखा जाए, क्योंकि ये गाड़ियाँ ऑल इंडिया ट्रैक्टर परमिट के अंतर्गत अक्सर दिल्ली से बाहर राज्यों में संचालित होती हैं।

एसोसिएशन का कहना है कि इन वाहनों की वैध आयु अवधि तक उन्हें चलने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि यह परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों ड्राइवरों और मालिकों की आजीविका का प्रश्न है। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि वे वास्तविक प्रदूषण स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाएँ, पर ट्रैक्टर ट्रैवलर्स और छोटे टैक्सियों मालिकों को रोजी-रोटी पर ग़ाज़ न गिराएँ।

जय जगन्नाथ जी

जगन्नाथ पुरी धाम दर्शन यात्रा

(दिल्ली से फ्लाइट द्वारा यात्रा)

यात्रा तिथि: 19 जनवरी से 21 जनवरी

यात्रा कार्यक्रम:

DAY 1 - दिल्ली भुवनेश्वर (फ्लाइट द्वारा)
होटल में चेक-इन
खंडगिरी एवं उदयगिरी गुफाएं
एलिफंटा / लायन / क्वीन केस
लिंगराज मंदिर
जैन मंदिर
मुक्तेश्वर मंदिर
बिंदुसागर
रात्रि विश्राम - भुवनेश्वर

DAY 2

नाशता
बुद्ध स्तूप
कोणार्क सूर्य मंदिर
चंद्रभागा बीच

पैकेज मूल्य: 25,000 /-
प्रति व्यक्ति

बुकिंग अंतिम तिथि:
15 दिसंबर

संपर्क करें:

9716338127,
9811732094
9212632095



रामचंडी मंदिर
पुरी होटल में ठहराव
श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन
मिमला शक्तिपीठ
रात्रि विश्राम - पुरी

DAY 3

नाशता
विल्का झील (डॉल्फिन सैकुचुरी)
दिल्ली वापसी

पैकेज में शामिल:

हवाई यात्रा
होटल ठहराव
केवल नाशता

प्रदूषण नियंत्रण के बहाने जनता को सजा, वाहन निर्माताओं को इनाम

ऑकरेश्वर पांडेय

साल 2025 विदा हो रहा है लेकिन दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए नया साल उम्मीद नहीं बल्कि वित्तीय बोझ, अनिश्चितता और नई चुनौतियाँ लेकर आ रहा है। दिल्ली समेत पूरे भारत में प्रदूषण नियंत्रण को वाजिब और कारगर तरीकों से रोकने में नाकाम सरकार अब जनता की कारों पर ठीकरा फोड़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर जो कठोर नीतियाँ लागू की हैं—चाहे वह बिना वैध PUC के ईंधन मिलना हो या बाहरी वाहनों के लिए केवल BS-VI का अनिवार्य प्रवेश—ये नीतियाँ सतही तौर पर पर्यावरण हितैषी लगती हैं लेकिन वास्तव में यह लाखों आम नागरिकों पर अन्यायपूर्ण दंड और वाहन निर्माता कंपनियों को दिया जा रहा अप्रत्यक्ष इनाम है।

ये नीतियाँ वैज्ञानिक समाधान कम और आम जनता की जेब पर 'सरकारी डकैती' अधिक जान पड़ती हैं। दिल्ली की हवा आज भी 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में है लेकिन सरकार का पूरा जोर धूल और पराली की बजाय उन कारों को सड़कों से हटाने पर है, जो मध्यम वर्ग की जीवन भर की जमापूंजी से खरीदी गई हैं।

ऑकड़ों का सच और मध्यम वर्ग पर मार

इन नीतियों का सीधा असर दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्यप्रदेश समेत अनेक राज्यों के वे मध्यमवर्गीय परिवार, जिन्होंने कर्ज लेकर अपनी पहली कार का सपना संजोया था, उन्हें आज अपराधी की तरह देखा जा रहा है। 5 लाख से अधिक कारें अब तक स्कैप की जा चुकी हैं।

12 लाख बाहरी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित है क्योंकि वे BS-VI मानक के नहीं हैं।

30 लाख वाहन मालिक अगले कुछ महीनों में अपनी वैध -फिट गाड़ियों को खोने के कगार पर हो सकते हैं।

एक कार पर औसतन 5 सदस्यों की निर्भरता के गणित से सीधे तौर पर डेढ़ करोड़ लोग पीड़ा में 'No PUC, No Fuel' जैसे कठोर नियम और ANPR कैमरों के जरिए निगरानी ने सड़कों को जेल बना दिया

तकनीक का 'शाँटकट' या नियोजित साजिश?

दशकों पहले एक कार की औसत आयु 20-25 साल होती थी। आज तकनीक के विकास के साथ इसे लंबा होना चाहिए था लेकिन इसे घटाकर 10-15 साल कर दिया गया है। इसे तकनीकी जगत में 'Planned Obsolescence' (नियोजित अप्रचलन) कहा जाता है। यह कंपनियों के लिए मुनाफा बढ़ाने का तरीका है।

सबसे बड़ा विरोधाभास

आम जनता को जिन BS-IV और BS-V कारों को सरकार ने खुद रप्यावरण-अनुकूल बलाकर बेचा था, आज उन्हें ही प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है? अगर ये कारें प्रदूषण फैला रही हैं, अगर तकनीक खराब थी, तो दोषी निर्माता कंपनियाँ होनी चाहिए थीं, न कि ग्राहक। तो क्या किसी कंपनी पर 'दोषपूर्ण तकनीक' के लिए कार्रवाई हुई? जवाब है—बिल्कुल नहीं। गलती ग्राहक की बताई जा रही है, कंपनी की नहीं लेकिन जुर्माना और जन्ती केवल ग्राहक की किस्मत में है।

वैश्विक उदाहरण: फिटनेस बनाम उम्र

दुनिया क्या कर रही है? हम कहीं खड़े हैं? भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ केवल



'आयु' (Age) के आधार पर फिटनेस तय होती है। दुनिया भर के विकसित देश निजी संपत्ति और नागरिक अधिकारों का सम्मान करते हैं:

अमेरिका और यूरोप: यहाँ 20-30 साल पुरानी कारें भी सड़कों पर दौड़ती हैं, बशर्ते वे वार्षिक 'एमिशन टेस्ट' पास करें। वहाँ नियम 'फिटनेस' पर है, 'उम्र' पर नहीं। सिंगापुर और जर्मनी: यहाँ पुरानी कारों को सहेजने के लिए विशेष 'विंटेज' या 'क्लासिक' श्रेणी दी जाती है, न कि उन्हें हाइड्रोलिक प्रेस में डालकर कुचला जाता है।

भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ केवल 'जन्म प्रमाण पत्र' के आधार पर फिट गाड़ी को कबाड़ घोषित किया जाता है।

यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)

और निजी संपत्ति के अधिकार का खुला उल्लंघन है।

भारत में सरकार 'फिटनेस टेस्ट' को पारदर्शी बनाने में विफल रही, इसलिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना—गाड़ियों को ही खत्म कर देना।

झूठे निशाने: असली अपराधी कौन?

दिसंबर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट्स और IIT कानपुर के अध्ययन (2015) से लेकर हालिया डेटा तक, सच यह है कि पेट्रोल कारों का प्रदूषण में योगदान मात्र 2% से 5% है। दिल्ली की हवा में असली ज़हर उद्योगों का धुआँ, सड़कों की उड़ती धूल (35-60%) और थर्मल पावर प्लांट की सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) है। सरकार ने जुलाई 2025 में 78% कोयला संयंत्रों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने से छूट दे दी लेकिन एक

मध्यमवर्गीय व्यक्ति की 10 साल पुरानी डीजल कार उसे 'मौत का सौदागर' नजर आती है।

स्कैपिंग नीति: आपदा में अवसर?

ईंधन स्टेशनों पर तेल देने से मना करना और बिना फिटनेस जाँच के गाड़ियाँ जब्त करना मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार कहती है इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाओर लेकिन सब्सिडी कम कर दी गई है। पुरानी कार की कीमत 'कोई दिशा' में है और नई EV की कीमत 'आसमान' पर। क्या सरकार 'पुरानी कार लो, नई ईवी दो' जैसी कोई मुफ्त विनिमय नीति लागू करेगी? जवाब है—नहीं।

वैज्ञानिक शोध का अकाल और 'आउटडेटेड' नीतियाँ

सवाल यह है कि ये नीतियाँ किस आधार पर बनाई जा रही हैं? भारत में आज भी वाहन नीतियाँ 2015 के आईआईटी कानपुर के पुराने आंकड़ों या पुराने पड़ चुके 'सोर्स अपोशुनमेंट' अध्ययनों पर टिकी हैं। विकसित देशों (अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन) में हर 24 से 36 महीनों में स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थाएँ प्रदूषण के स्रोतों का गहन ऑडिट करती हैं। हमारे यहाँ संबंधित मंत्रालय (MoEFCC और MoRTH) केवल 'डेस्क रिसर्च' और कंपनियों के डेटा पर भरोसा करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को भी अक्सर वास्तविक डेटा के अंधेरे में रखा जाता है। सड़क निर्माण की धूल और औद्योगिक उत्सर्जन पर कार्रवाई करने के बजाय कारों को आसान निशाना बनाया जाता है क्योंकि वे सड़क पर दिखती हैं और मध्यम वर्ग चुपचाप चालान भरता है।

बजट का सच और 'मिशन LiFE' की विफलता

सरकारी विज्ञापनों में 'मिशन LiFE' और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन हकीकत यह है कि इन विभागों को आवंटित बजट का 25-30% हिस्सा हर साल बिना खर्च किए (Unspent) वापस चला जाता है। पर्यावरण शोध, जागरूकता (Advocacy) और पुरानी कारों को ईवी (EV) में बदलने के लिए कोई 'मुफ्त विनिमय नीति' या ठोस बजट प्रावधान नहीं है। सारा जोर केवल 'दंड' पर है।

जनता पर प्रहार बंद हो

दिल्ली का 50% प्रदूषण धूल भरी सड़कों, अवैध खनन और पराली से आता है, लेकिन वहाँ सरकारी तंत्र पंगु हो जाता है। मध्यम वर्ग वोट बैंक मात्र नहीं है; वह देश की आर्थिक रीढ़ है। सरकार को चाहिए कि वह उम्र के बजाय 'फिटनेस' आधारित नीति लाए और 'ईवी' अपनाएँ के लिए पुरानी कारों का पूरा मूल्य सब्सिडी के रूप में दे। जनता को सजा देकर नहीं बल्कि वैज्ञानिक समाधानों और ईमानदार रोड इंजीनियरिंग के माध्यम से ही दिल्ली की हवा साफ हो सकती है।

नीतिगत कूरता का अंत अनिवार्य

दिल्ली-एनसीआर की जनता अब इसे केवल पर्यावरण नीति नहीं, बल्कि 'वाहन माफिया' और 'सरकार' का गठजोड़ मान रही है। जब तक सड़कों से धूल नहीं हटोगी, जब तक सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो और बसें) का जाल हर गली तक नहीं पहुँचेंगा, तब तक निजी कारों पर प्रतिबंध केवल 'छलावा' है। मध्यम वर्ग वोट बैंक मात्र नहीं है। वह देश की रीढ़ है। अगर इस रीढ़ को बार-बार लोन और नई कारों के बोझ से तोड़ा गया तो 2026 का सूरज सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अंधकारमय हो सकता है।

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com



आज का साइबर सुरक्षा विचार हरियाणा—मध्यप्रदेश साइबर क्राइम कॉरिडोर: एक चिंताजनक गटजोड़

डिजिटल उपकरणों का आश्चर्यजनक दक्षता से उपयोग किया। हरियाणा का नूंह जिला - उभरता हुआ हॉटस्पॉट

सामाजिक-आर्थिक कमजोरियाँ:

- 0 उच्च बेरोजगारी
- 0 कमजोर पुलिसिंग संरचना
- 0 लंबे समय से चली आ रही वंचना
- 0 परिवर्तन: हाशिए पर रहे जिले से भारत का सबसे खतरनाक साइबर क्राइम हब, जिसने पैमाने और परिष्कार में जमताड़ा को पीछे छोड़ दिया।

संचालन मॉडल:

- 0 गुरुग्राम के कॉल सेंटर कमांड हब के रूप में कार्यरत।
- 0 नूंह मानव संसाधन और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करता है।

* मूल अकाउंट्स: विंध्य और महाकौशल क्षेत्रों में 1,000 से अधिक खाते खोले गए।

* पीड़ित: गरीब ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं।

* खाते करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए माध्यम बन गए, जिससे मध्यप्रदेश की वित्तीय व्यवस्था खोखली हो रही है।

* अंदरूनी मिलीभगत: कुछ बैंक कर्मचारियों ने खाते खोलने में मदद की, जिससे धोखाधड़ी को वैधता मिली।

* कार्यप्रणाली (Modus Operandi)

- डिजिटल साम्राज्य: अपराधियों ने छोटे पैलैटों से अत्यधिक संगठित

संचालन चलाया, जो कॉर्पोरेट दक्षता की नकल करता था।

* तकनीक-सक्षम धोखाधड़ी:

फर्जी त्रुआ ऑफर, निवेश योजनाएँ और प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) घोटाळे।

3. धोखाधड़ी से परे जोखिम -

आतंक वित्तपोषण: लेन-देन के पैमाने और गुमनामी से धन के चरमपंथी नेटवर्कों तक पहुँचने का आशंका।

जनविश्वास को कमजोर करता है।

4. कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया

- गुरुग्राम में कॉल सेंटरों पर कार्रवाई।
- मूल अकाउंट बनाने में शामिल बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई।
- 1,000 से अधिक धोखाधड़ी वाले खातों की पहचान, फ्रीजिंग और जांच के लिए।
- रणनीतिक चुनौती: विकेंद्रीकृत, युवाओं द्वारा संचालित साइबर क्राइम इकोसिस्टम से निपटना, जो तेजी से अनुकूलित होता है।

5. मुख्य निष्कर्ष

- हरियाणा-मध्यप्रदेश कॉरिडोर साइबर अपराध का नया मोर्चा

है, जो सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को डिजिटल परिष्कार से जोड़ता है।

4. कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया

- मध्यप्रदेश के ग्रामीण गरीब अनजाने में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के प्रतिभागी बन रहे हैं।
- यह गठजोड़ आतंक वित्तपोषण के गंभीर जोखिम पैदा करता है, जिसके इंटेलिजेंस और समन्वित हस्तक्षेप आवश्यक है।
- वित्तीय सतर्कता: KYC मानकों को मजबूत करें, ग्रामीण बैंकिंग प्रथाओं का ऑडिट करें और मूल अकाउंट पैटर्न की निगरानी जरूरी है।
- सामुदायिक जागरूकता: ग्रामीणों को उन धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में शिक्षित करना जो सरकारी लाभ

के रूप में छिपी होती हैं।

* कानून प्रवर्तन सहयोग:

हरियाणा और मध्यप्रदेश पुलिस के बीच संयुक्त टास्क फोर्स, साइबर क्राइम यूनिट्स के साथ जरूरी है।

* क्षमता निर्माण:

अधिकारियों को डिजिटल फॉरेंसिक और वित्तीय इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करना जरूरी है।

* सामाजिक-आर्थिक हस्तक्षेप:

नूंह और मध्यप्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में रोजगार सृजन और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाना जरूरी है।

यह कॉरिडोर केवल धोखाधड़ी का अड्डा नहीं है—यह अपराध, शोषण और अंधविश्वास के संवेदनशील क्षेत्रों में रोजगार सृजन और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाना जरूरी है।

यह कॉरिडोर केवल धोखाधड़ी का अड्डा नहीं है—यह अपराध, शोषण और अंधविश्वास के संवेदनशील क्षेत्रों में रोजगार सृजन और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाना जरूरी है।

दीदी-माँ साध्वी ऋतम्भरा का जन्मोत्सव 'वात्सल्य दिवस' के रूप में धूमधाम से सम्पन्न

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। मथुरा रोड़स्थित वात्सल्य ग्राम में दीदी माँ साध्वी ऋतम्भरा का त्रिदिवसीय जन्मोत्सव विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। जिसके अंतर्गत सविंद गुरुकुल गल्स सैनिक स्कूल के सभागार में देश भर से पधार शिष्यगणों एवं परमशक्ति पीठ के सहयोगियों ने अपने श्रद्धा-सुमन उनके श्रीचरणों में समर्पित करते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामनाएँ प्रकट कीं। जिसके अन्तर्गत वात्सल्यम एवं बी टी टी ए की छात्राओं ने महाभारत की संक्षिप्त नृत्य नाटिका के माध्यम से दीपदी की विवशता, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा उनके लाज बचाने एवं फिर दुःशासन वध के बाद स्त्री सशक्तिकरण का संदेश दिया।

कृष्णा ब्रह्मरतन विद्या मन्दिर की छात्राओं ने भगवान शिव पर आधारित नृत्य नाटिका से वातावरण को भावविभोर कर दिया लोगों तालियों से हाल गूँजन लगा। ऑस्ट्रेलिया निवासी साहित्यकार श्रीमती सोमा नायर ने

अपनी कविता के माध्यम से दीदी माँ जी का यशोगान करते हुए भारत की स्त्री शक्ति के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया। पाकिस्तान पीडित हिन्दू समाज को भारत में बसाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे जयपुर के प्रख्यात चिकित्सक डॉ. ओमेन्द्र रत्न ने माँ के विभिन्न भूमिकाओं के प्रति अपनी अत्यन्त ही मनोहारी रमरे मनोभाव वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से पूज्या दीदी माँ जी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए उन्हें जन्मोत्सव की बधाई प्रदान की।

सिरसा से पधार हुए विश्वविख्यात भजन गायक किशन बर के भजनों ने वातावरण को राधामय कर दिया।

परमशक्ति पीठ के सहयोगी एवं प्रख्यात शिक्षाविद् राजीव गुप्ता के आगरा में संचालित होने जा रहे शिक्षाकेन्द्र 'संध्या गुरुकुल' के शोशर का विमोचन भी पूज्या दीदी माँ जी के कर-कर्मठों द्वारा सम्पन्न हुआ।

समारोह को संबोधित करते हुए साध्वी ऋतम्भरा ने कहा कि हमने देखा कि लोग किसी की काया का वध कर देते हैं। लोग किसी के



प्रतिरुद्ध हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कि दिल करता है थपड़ मार दे, दिल करता है गोली से भून दें। इतना क्षुद्र विचार भी आता है द्वेष की वजह से। एक बैर होता है कि वह शरीर ही खत्म करना चाहता है लेकिन एक और तल पर भी बैर या प्रेम होता है। वो मन के तल पर होता है। हमने शरीर के तल पर तो देखा कि सास पहले बहू को जलाती थी अब बहूएँ कुछ अलग कर्मागत करती हैं। पहले के समय में वो स्टोव बहू को ही पता नहीं क्यों जलाता था, सास, नन्द को कैसे छोड़ देता था। अब वो उसकी दूसरी प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये तो

हमने बहुत सुना है और यहीं तक नहीं, अगर त्रेता युग या द्वापर युग की बात करें तो वहां भी तो हम देख रहे हैं कि उस दुष्टि से अगर हम आकलन करें तो सुग्रीव को बाली के विरुद्ध या बाली को सुग्रीव के विरुद्ध देखते ही हैं।

मनसा-वाचा-कमणा हम एक नहीं रहे पाते। यह थोथा आदर्शवाद है। कोई प्रवचनों से बदल नहीं जाएगा। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा का उध्वगमन होगा, अपनी आंतरिक ऊर्जा का सम्मिलन करके आपकी शक्ति शिव से मिलेगी, तभी आप आंतरिक आनंद से भरेंगे। फिर आपके भीतर से जो निकलेगा वो सच्चा

होगा, पूर्ण होगा आनन्ददायी होगा। आडंबर पाखंड हमको बोझिल करते हैं और जिंदगी की सच्चाई हमको हल्का-फुल्का करती है।

इस अवसर पर श्रीनाभापीठाधीश्वर जागदू स्वामी सुतीक्ष्णदास देवचार्य्य महाराज, संजय भैया, साक्षी चैतन्य सिन्धु, साध्वी शिरोमणि, स्वामी सत्यशील, पूर्व मंत्री रवि कान्त गर्ग, महामंडलेश्वर स्वामी राधाप्रसाद देव जु महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी आदित्यानंद महाराज, सन्त प्रवर रामदास महाराज, प्रख्यात साहित्यकार रघुप्री रत्नर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, महंत मोहिनीबिहारी शरण महाराज, महंत देवानंद महाराज, आचार्य बद्रीश महाराज, सौरभ गौड़, आशीष गुप्ता, निवेदिता, आई.सी. अग्रवाल, राजीव गुप्ता, अशोक सरिन, डॉ. जनक आनन्द, श्रवण अवस्थी, आई.जी.एच.के.शर्मा, श्रीमती वन्दना तिवारी एवं श्रीमती सीमा शर्मा, मीनाक्षी अग्रवाल सहित अनेक गणमान्यजन इस आयोजन में सम्मिलित हुए। संचालन डॉ. उमाशंकर राही ने किया।



27. 1. 26 को श्री श्री 1008 श्री महाराजाधीराज हरसु बाबा जन्म उत्सव एवं शोभायात्रा महोत्सव

परिवहन विशेष न्यूज, वरमाला पैलैस भुआ में हरसु बंसी परिवार की बैठक में मूल रूप से दिनांक 27. 1. 26 को श्री श्री 1008 श्री महाराजाधीराज हरसु बाबा के जन्म उत्सव एवं शोभायात्रा महोत्सव को लेकर विचार विमर्श हुआ, बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर विचार विमर्श कर विमर्श बनाई गई की बाबा का जन्मोत्सव विगत कई वर्षों की तरह धूमधाम से मनाया जाएगा और इस बार जन्मोत्सव कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने के लिए कई प्रदेशों के साथ संत महाराज एवं हरसु बंसी परिवार के पूर्वज को विशेष रूप से आमंत्रण देकर बुलाने पर सहमति बनाई गई। इस कार्यक्रम को और भी भव्य कैसे बनाया जाए इस को लेकर दिनांक 11 जनवरी को हरसु महादेव मंदिर के प्रांगण में अगली बैठक सुनिश्चित की गई, आज के बैठक में मुख्य रूप से अनिल दुबे, देवराज पांडे, प्रकाश पांडे, गुनेश तिवारी, शंभु तिवारी, संजय चौबे, डबलू पांडे, अजय शंकर पांडे, अंगद तिवारी, सूर्यश पांडे मंगल चौबे, आनंद पांडे, गुडू पांडे, पुदुल बाबा अरविंद पांडे, मनीष कश्यप ओझा रैना पाण्डेय, विमलेश तिवारी, सम्राट राजन तिवारी इत्यादि लोग शामिल हुए।

युवाओं से सतत लेखन का आव्हान

सुनील चिंचोलकर

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सविता स्मृति स्वरोज फाउंडेशन के पांचवें वार्षिक आयोजन एवं स्मृतिशेष सविता प्रथमेश के जन्मदिन के अवसर पर निसर्ग नीड, बिलासपुर में शहर के नवयुवा कवियों का काव्य पाठ आयोजित किया गया। साहित्यिक वातावरण में सम्पन्न इस आयोजन में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी एवं श्रोता उपस्थित रहे। इसी अवसर पर फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका 'स्मृति सविता' (2025-26 संस्करण) तथा जानी-मानी कवयित्री पल्लवी मुखर्जी के प्रथम कविता संग्रह 'विलीन होती जाती हैं स्त्रियाँ' का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में देश के वरिष्ठ कवि, लेखक एवं साहित्यकार तथा श्रीकांत वर्मा सृजन पीठ के अध्यक्ष रामकुमार तिवारी, ईवंगिंग टाइम्स के संस्थापक-संपादक एवं प्रामाणिक लेखक संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नथमल शर्मा, भिलाई की चर्चित कवयित्री मीता दास, विचार मंच गणेशी के आयोजक व संचालक तथा जाने-माने उपन्यासकार द्वारिका अग्रवाल (प्रसिद्ध कृतियाँ - तेरी मेरी कहानी, मध्व मध्व, मुसाफिर जाएगा कहीं, कहीं ले चले हो, बता दो मुसाफिर) एवं द्वारिका प्रसाद विप्रशिक्षण समिति के उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल मंचासोनी रहे।

शहर की युवा पीढ़ी की उल्लेखनीय उपस्थिति - कवि एवं श्रोता दोनों रूपों में - हिंदी साहित्य के उज्वल

भविष्य का संकेत मानी गई। नवयुवा कवियों अनुराग तिवारी, प्रकाश साहू, मीरा मूढ, निधि तिवारी, वर्षा रानी, राहुल सोनी, शिबी राजवत, उपासना, सुश्रुंगी बाजपेयी, युवराज सोनी, अंजू कमलेश, जानकी राजपूत, प्रीति तिवारी, साकेत तिवारी, आदित्य एवं निहाल सोनी ने अपनी-अपनी रचनाओं का पाठ किया। वीर रस, श्रृंगार, प्रेम और समकालीन संवेदनाओं से परिपूर्ण कविताओं को श्रोताओं की भरपूर तालियाँ और प्रशंसा मिली। अतिथि साहित्यकारों ने अपने उद्बोधनों में युवा कवियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सतत लेखन और वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में फाउंडेशन के निदेशक प्रथमेश सविता ने संस्था की स्थापना के उद्देश्य एवं अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। कवयित्री पल्लवी मुखर्जी ने अपने कविता संग्रह के विमोचन पर मंच और फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने साहित्यिक परिवार - पिता शिन्धेन्द्रनाथ, माता शुक्ला एवं भाई भास्कर चौधरी - को स्मरण किया तथा संग्रह से चर्चित कविताओं का पाठ भी किया। कार्यक्रम का संचालन आकांक्षा बाजपेयी ने किया। अतिथियों का स्वागत पुष्पों के पीपों से किया गया। आभार प्रदर्शन महिमा दुबे द्वारा किया गया। अंत में सभी उपस्थितजनों ने फाउंडेशन की प्रेरणास्रोत स्मृतिशेष सविता प्रथमेश को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।



अंतरराष्ट्रीय कवि बृजेंद्र अवस्थी के जन्मदिवस पर साहित्यकारों का समागम

नरेंद्र गरल के गीत संग्रह 'खंभर का बृजेंद्र अवस्थी' को समर्पण

बदायूँ। नूतन वर्ष के प्रथम दिन साहित्य स्तंभ कहे जाने वाले अंतरराष्ट्रीय कवि काव्य गुरु डॉ. बृजेंद्र अवस्थी के जन्मदिवस पर उनके कवि नगर स्थित आवास मनोरमा पर अनेक काव्य प्रेमियों का समागम के बीच वरिष्ठ कवि नरेंद्र गरल ने अपने द्वारा रचित पुस्तक 'खंभर गीत संग्रह' का अपने गुरु डॉ. बृजेंद्र अवस्थी को समर्पण किया।

इस मौके पर डॉ. बृजेंद्र अवस्थी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए उपस्थित कवि व शायरों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक से बढ़कर एक रचनाएँ प्रस्तुत कीं। अध्यक्षता डॉ. राम बहादुर 'व्यथित' ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ डा. सोनरूपा विशाल

द्वारा सरस्वती वंदना पढ़कर किया गया। गोष्ठी में डॉ. ब्रजेंद्र अवस्थी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर साहित्य मनीषियों ने अपने-अपने अंदाज में प्रस्तुति दी, साथ ही उपस्थित सभी साहित्यकारों ने 'पंख' गीत संग्रह के लिए नरेंद्र गरल जी को बधाई दी।

वरिष्ठ कवि नरेंद्र गरल ने पढ़ा - अब हार हो या जीत हो परिणाम कुछ भी हो कांधे से धनुष बाण उतारे न जाएंगे।

डॉ. राम बहादुर व्यथित ने कहा - हैं अश्रु भरें भारत माँ को, हा! आज लाडला लाल गया। सरस्वती करती है क्रंदन, हा! वरद पुत्र दिग भाल गया।। उस्ताद शायर सुरेंद्र नाथ ने कहा - हिंदी के या उर्दू के अदब दोस्त जो भी हैं

हर एक को पसंद थे बृजेंद्र अवस्थी वरिष्ठ शायर अहमद अमजदी ने सुनाया - जाते अवस्थी बड़ी महान देश का गौरव देश की शान महेश मित्र ने पढ़ा -

इस नए वर्ष में शुभ सितारे रहे तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे। डॉ. सोनरूपा ने सुनाया - मन के सागर में बहुत सी मछलियाँ हैं

एक जीवन है कई आसक्तियाँ हैं शम्स मुजाहिदी बदरुन्नी ने कहा - उल्फत के गुलदिल में खिलाकर मैं भी देखूँ तू भी देख।

फिर से हिन्दो पाक मिलाकर मैं भी देखूँ तू भी देख।। डॉ. निश अवस्थी ने पढ़ा -

वैसे आपने कुछ कुटुंब ही वैसे शहर को छांव में

किंतु देश का बहुत बड़ा परिवार बसा है गांव में।

कुमार आशीष ने सुनाया - गुरुवर के बारे में कुछ भी लिख पाना आसान नहीं

भावों से तो हृदय भरा है, पर भाषा का ज्ञान नहीं।

ओजस्वी जोहरी ने पढ़ा - क्या लगाओगे भला तुम दान लेखन का मेरे है कलम अनमोल मेरी है ये अद्भुत लेखनी अभिषेक अनंत ने पढ़ा - स्वीकारो शब्द - पुत्र का आमंत्रण हे काव्य मनीषी तुम्हें हृदय से शतवदन सुबिन महेश्वरी ने कहा -

जीवन में जहां भी आपको द्वंद्व दिखाई पड़े, चुनाव ही मत करना। जो चुनाव करता है, वह गृहस्थ है। जो चुनाव नहीं करता, वह संन्यस्त है।

लेखक:- विद्या भूषण भरद्वाज

इस बात को थोड़ा समझ लें। दुख है, सुख है, तक्षण हमारा मन चुनाव करता है कि सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। जन्म है और मृत्यु है, तक्षण हमारा मन करता है, जन्म ठीक, मृत्यु ठीक नहीं है। मित्र हैं, शत्रु हैं, हमारा मन कहता है, मित्र ही मित्र रहें, शत्रु कोई भी रहे। यह चुनाव है, च्याइस है और जहां चुनाव है, वहां संसार है क्योंकि आपने दो में से एक को चुन लिया और दो ही अगर आप एक साथ चुन लें, तो कष्ट जायेंगे दोनों।

अगर आप मान लें कि मित्र भी होंगे, शत्रु भी होंगे और आपके मन में कोई रत्तीभर चुनाव न हो कि मित्र ही बचें, शत्रु न बचें।

आपके मन में कोई चुनाव न हो कि जीवन ही रहे, मृत्यु न रहे। आप दोनों के लिए राजी हो जाएं। जो हो उसके लिए आपकी पूरी की पूरी तथाता, एक्सपैक्टिविलिटी हो, स्वीकार हो, तो आप संन्यस्त हैं फिर आप मकान में हैं, दुकान में

हैं, बाजार में हैं कि हिमालय पर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर चुनाव खड़ा न हो, च्याइस लेस नेस। कृष्णमूर्ति नितर च्याइस लेस नेस चुनाव रहितता की बात करते हैं। वह चुनाव रहितता यही है। दो के बीच कोई भी न चुनें।

जैसे ही आप दो के बीच चुनाव बंद करते हैं, दोनों गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चुनाव से ही वे खड़े होते हैं और जटिलता यह है कि जब आप एक को चुनते हैं, तब अनजाने आपने दूसरे को भी चुन लिया।

जब मैं कहता हूँ मुझे सुख ही सुख चाहिए, तभी मैंने दुख को भी निमंत्रण दे दिया। जो सुख की मांग करेगा, वह दुखी होगा। उस मांग में ही दुख है जो सुख की मांग करेगा, वह अगर सुख न पाएगा, तो दुखी होगा। अगर पा लेगा, तो भी दुखी होगा क्योंकि जो सुख पा लिया जाता है, वह व्यर्थ हो जाता है और जो सुख नहीं पाया जाता, उसकी पीड़ा सालती रहती है।

जैसे ही हम चुनते हैं एक को, दूसरा भी आ गया पीछे के द्वार से और हम चाहते हैं कि दूसरा न आए। इसीलिए हम चुनते हैं कि दूसरा न आए। हम चाहते हैं यश तो मिले, अपयश न मिले। प्रशंसा तो मिले, कोई अपमान न करे लेकिन जो प्रशंसा चाह रहा है उसने अपमान को बुलावा दे दिया। अपमान मिलेगा। अपमान तो केवल उसी को नहीं मिलता है, जिसने मान को चुना नहीं। जिसने मान को चुना, उसे अपमान मिलेगा।

जरूरी नहीं है कि आप मान को न चुनें, तो कोई आपको गाली न दे। दे, लेकिन आपके पास गाली गाली की तरह नहीं पहुंच सकती है। यह दूसरे देने वाले पर निर्भर है कि वह फूल फेंके कि पत्थर फेंके। लेकिन आपके पास अब पत्थर भी नहीं पहुंच सकता, फूल भी नहीं पहुंच सकता। वह तो फूल मुझे मिले, इसलिए पत्थर पहुंच जाता था। फूल ही मेरे पास आए, इसलिए पत्थर भी निमंत्रित हो जाता था। जैसे ही आप चुनाव छोड़ देते हैं, आप जगत के बीच भी जगत के बाहर हो जाते हैं।

यह जो चुनाव रहितता है, यह संन्यास की गुच्छ साधना है, आंतरिक साधना है। संन्यास है मार्ग, दो के पार जाने का। संसार है द्वार, दो के भीतर जाने का।

तो जितना आप ज्यादा चुनेंगे, उतने आप उलझते चले जाएंगे। जितना आप मांग करेंगे, उतने आप परेशान होते चले जाएंगे। जितना आप कहेंगे, ऐसा हो, और ऐसा न हो, उतनी ही आपकी चित्त - दशा विक्षिप्त होती चली जाएगी। जितना आप चुनाव क्षीण करते जाएंगे और आप कहेंगे, जैसा हो, मैं राजी हूँ। जो भी हो, मैं राजी हूँ। जैसा भी हो रहा है, उससे विपरीत की मेरी कोई मांग नहीं है। जीवन मिले तो ठीक, और मृत्यु मिल जाए तो ठीक। दोनों के साथ मैं एक - सा ही व्यवहार करूंगा। मैं कोई भेद नहीं करूंगा। जैसे ही आपके भीतर का यह तराजू समतुल होता जाएगा, वैसे ही वैसे द्वंद्व क्षीण होगा और आप अद्वैत में, निर्द्वंद्व में प्रवेश कर जाएंगे।

आशो

विकसित भारत @2047 और दूषित बुनियादी सुविधाएँ: आधुनिक भारत के सामने एक सभ्यतागत चुनौती-एक समग्र अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

विकसित भारत का अर्थ केवल जीडीपी नहीं है, उसका असली पैमाना हर नागरिक सुरक्षित बुनियादी सुविधाएँ पानी, बिना डर के जीवन, और राज्य पर भरोसा है यदि 2047 तक भारत को सचमुच विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसे बुनियादी सुविधाओं को नीतिगत प्राथमिकता नहीं बल्कि नैतिक दायित्व मानना होगा - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तर पर विज्ञान 2047 के तहत भारत स्वयं को एक विकसित राष्ट्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचे, डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी, हाईवे, मेट्रो औद्योगिक गलियारों और वैश्विक निवेश के आंकड़े इस प्रगति का दावा करते हैं। किंतु इसी आधुनिक भारत में यदि नागरिक दूषित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के अभाव में अपनी जान गंवा दें, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राज्य की नैतिक, संवैधानिक और मानवीय विफलता बन जाती है। दूषित पानी से हुई मौतें को इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने इसी विरोधाभास को उजागर कर दिया है, जहाँ एक ओर वर्ल्ड बैंक रिपोर्टों में अग्रणी स्थिति है, वहीं दूसरी ओर नागरिक जीवन की बुनियादी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि, स्वच्छ पेयजल का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अंग है। दूषित पानी से हुई मौतें सीधे-सीधे इस अधिकार का हनन हैं। जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की बात करता है, तब ऐसी घटनाएँ यह प्रश्न उठाती हैं कि क्या विकास मानवाधिकारों की रक्षा के बिना संभव है? हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संज्ञान यह स्पष्ट करता है कि यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि संवैधानिक और मानवाधिकार उल्लंघन का है। न्यायपालिका की सक्रियता यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि राज्य अपने कर्तव्यों से पलायन न करे और नागरिकों के जीवन की कोमल राजनीतिक सुविधा

के अनुसार न तय की जाए।

साथियों बात अगर हम इंदौर में हुई त्रासदी को समझने की करें तो, जो शहर लगातार कई वर्षों से राष्ट्रीयस्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित होता रहा है, वहाँ नववर्ष के पहले ही दिन दूषित पेयजल से मौतों की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। (यह घटना इसलिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि इंदौर को अक्सर शहरी प्रबंधन, नगर निकाय दक्षता और जनभागीदारी का आदर्श मॉडल बताया जाता रहा है। यदि ऐसा शहर भी अपने नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में विफल हो जाए, तो यह प्रश्न केवल इंदौर का नहीं, बल्कि पूरे शहरी भारत की जल सुरक्षा रणनीति पर खड़ा होता है। घटना का केंद्र इंदौर का भागीरथपुर क्षेत्र है, जहाँ पुलिस चौकी के शौचालय के ठीक नीचे से गुजर रही नर्मदा की मुख्य जल आपूर्ति पाइपलाइन में गंभीर रिसाव पाया गया। इस रिसाव के कारण सीवेज का गंदा पानी सीधे पेयजल लाइन में मिल गया और पूरे वार्ड में दूषित पानी की आपूर्ति होती रही। यह केवल एक तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि प्रणालीगत लापरवाही का परिणाम भी होने की संभावना है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, स्थानीय नागरिकों द्वारा सैकड़ों बार पार्षद को शिकायतें की गईं, नगर निगम की 311 एप पर भी बार-बार शिकायत दर्ज कराई गईं, परंतु हर बार केवल आश्वासन मिला, समाधान नहीं। यह स्थिति बताती है कि डिजिटल शिकायत तंत्र तब तक अर्थहीन है, जब तक उस पर संवेदनशील और समयबद्ध कार्रवाई न हो। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हुई। वहीं कलेक्टर स्तर पर यह कहा गया कि डिटेल्ड रिपोर्ट और क्लरर टेस्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यह प्रशासनिक भाषा एक परिचित पैटर्न को दर्शाती है, पहले टालना, फिर जांच, फिर जिम्मेदारी तय करने में विलंब। जबकि वास्तविकता यह है कि जब सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हों, 16 बच्चों प्राणवित हो और मौतों की संख्या बढ़ रही हो, तब प्रशासनिक संकेतक नहीं बल्कि आपातकालीन जवाबदेही अपेक्षित होती है।



साथियों बात अगर हम मौतों के आंकड़ों पर विचार: सत्य बनाम आधिकारिक संस्करण। इसको समझने की करें तो, इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू मौतों की संख्या को लेकर सामने आया विरोधाभास है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में अब तक केवल 4 मौतों की बात कही गई, जबकि मीडिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ज़मीनी रिपोर्टों, मीडिया और अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि राज्य की पारदर्शिता और नैतिक साहस का प्रश्न है। लोकतंत्र में जब सरकार मौतों को कम करके दिखाने लगे, तो यह पीड़ितों के प्रति दूसरा अन्याय बन जाता है। न्यायपालिका और मानवाधिकार आयोग की भूमिका इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर संज्ञान लेना और अगली सुनवाई की तिथि तय करना न्यायिक सक्रियता का संकेत है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को नोटिस जारी करना इस बात की पुष्टि करता है कि यह मामला केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन का भी है।

साथियों बात अगर हम इस त्रासदी को संवैधानिक रूप से समझने की करें तो, भारत का संविधान नागरिकों को केवल शासन की संरचना नहीं देता, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्ण सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन का वचन देता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का

अधिकार केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य का अधिकार भी निहित है। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतें इस संवैधानिक वचन के टूटने का प्रतीक हैं। यह घटना केवल एक नगर निगम या राज्य सरकार की विफलता नहीं, बल्कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी के उल्लंघन का गंभीर मामला है। स्वच्छ पेयजल-मूल अधिकार का अविभाज्य हिस्सा भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि स्वच्छ जल का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अनिवार्य अंग है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में यह स्थापित किया गया है कि यदि राज्य नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रहता है, तो वह संवैधानिक कर्तव्यहीनता का दोषी है। इंदौर की घटना में, जहाँ सीवेज का पानी पेयजल आपूर्ति में मिला और प्रशासन शिकायतों के बावजूद निष्क्रिय रहा, वहाँ यह तर्क और भी सशक्त हो जाता है कि राज्य ने अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया। अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन: समानता और जीवन पर भी आघात की ओर इशारा करता है।

साथियों बात अगर हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ: संवेदना, आरोप और नैतिक परीक्षा इसको समझने की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इसे मुख्यमंत्री के लिए परीक्षा की घड़ी बताना और घोर प्रायश्चित की बात कहना इस घटना की नैतिक

गंभीरता को रेखांकित करता है। वहाँ लोकसभा में विपक्षी नेता द्वारा यह कहना कि साफ पानी अहसान नहीं, जीवन का अधिकार है, लोकतांत्रिक विमर्श को संवैधानिक धरातल पर लाता है। हालांकि, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से परे, यह प्रश्न अधिक गहरा है, क्या शासन व्यवस्था नागरिक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता मान रही है, या केवल राजनीतिक प्रबंधन तक सीमित है? साथियों बात अगर हम दूषित पानी और घातक बैक्टीरिया एक वैज्ञानिक चेतना की समझने की करें तो, विशेषज्ञों के अनुसार, सीवेज मिला पानी पीने से ही बैक्टीरिया के अत्यंत विषैले मात्र से इसमें हैजा जैसे घातक बैक्टीरिया, मल-मूत्र से उत्पन्न रोगाणु, साबुन, डिटर्जेंट, केमिकल और कभी-कभी औद्योगिक अपशिष्ट भी शामिल होता है। जब यह मिश्रण पेयजल आपूर्ति में प्रवेश करता है, तो यह एक मौन जैविक हथियार बन जाता है, जिसका प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है।

साथियों बात अगर हम वाटर विज्ञान 2047: नीति और ज़मीनी हकीकत का अंतर को समझने की करें तो, हाल ही में घोषित में आयोजित वाटर विज्ञान 2047 सम्मेलन में प्रधानमंत्री के 5 पी मॉडल, राजनीतिक इच्छाशक्ति, लोक विच, साझेदारी, जन भागीदारी और सतत प्रेरणा पर विस्तृत चर्चा हुई थी। जल सुरक्षा के लिए रोडमैप तैयार करने की बातें हुई थीं, परंतु इंदौर जैसी घटना

यह दर्शाती है कि नीतिगत विमर्श और ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच अभी भी गहरा खाई है। जब तक पाइपलाइन स्तर पर निगरानी, जवाबदेही और त्वरित सुधार तंत्र विकसित नहीं होंगे, तब तक वाटर विज्ञान केवल दस्तावेजों में सिमटा रहा।

साथियों बात कर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: विकसित देशों से भारत क्या सीख सकता है? इसको समझने की करें तो, यूरोप, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में पेयजल आपूर्ति को क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। वहाँ जल आपूर्ति लाइनों की नियमित ऑडिट, सेंसर आधारित निगरानी, और किसी भी रिसाव पर त्वरित अलर्ट सिस्टम लागू हैं। भारत यदि 2047 तक वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखता है, तो उसे यह समझना होगा कि आर्थिक शक्ति का मूल्य तभी है जब नागरिक सुरक्षित स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सके।

साथियों बात अगर हम मीडिया, अभिव्यक्ति और सत्ता का व्यवहार इसको समझने की करें तो, इस प्रकरण में एक इंटरविजन द्वारा मीडिया पब्लिकेशन पर रोक की मांग और एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा इलेक्ट्रिकल मीडिया के सवालों पर असभ्य भाषा का प्रयोग करना लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए चिंताजनक संकेत है। सत्ता की परिपक्वता इस बात से मापी जाती है कि वह संकट के समय सवालों से डरती है या उनसे सीखती है। मीडिया पर अंकुश लगाने की सोच समस्या के समाधान के बजाय उसे दबाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

अंतर: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विकसित भारत का अर्थ है कि केवल जीडीपी नहीं है, इंदौर की जल त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक आंकड़ों, रैंकिंग और घोषणाओं से पुरा नहीं होता। उसका असली पैमाना यह है कि क्या हर नागरिक सुरक्षित पानी पी सकता है, बिना डर के जी सकता है, और राज्य पर भरोसा कर सकता है। यदि 2047 तक भारत को सचमुच विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसे बुनियादी सुविधाओं को नीतिगत प्राथमिकता नहीं बल्कि नैतिक दायित्व मानना होगा। अन्यथा, ऐसी घटनाएँ न केवल जानें लेंगी, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को भी घायल करती रहेंगी।

एआई को कानूनी अधिकार: तकनीकी प्रगति या नई चुनौती?

जब मशीनें सोचने लगी हैं, तो क्या उन्हें इंसानों जैसे अधिकार देने चाहिए — या यह मानव सभ्यता की दिशा बदलने वाला कदम साबित होगा?



संगीनी घोष

विशेष संवाददाता

परिवहन विशेष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब किसी परिकल्पना का हिस्सा नहीं रही। यह हमारे जीवन, उद्योग और नीति निर्माण तक व्यापक रूप से पहुंच चुकी है। कुछ वर्षों में एआई सिस्टम इतने उन्नत हो गए हैं कि वे मानव-समान निर्णय और विश्लेषण करने में सक्षम दिखने लगे हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है — क्या एआई को भी कानूनी अधिकार दिए जाने चाहिए?

“कानूनी विमर्श” : एआई से जुड़े 5 प्रमुख कानूनी सवाल

1. क्या एआई को “कानूनी व्यक्ति” (Legal Person) का दर्जा दिया जा सकता है, और अगर हाँ, तो उसकी सीमाएँ क्या होंगी?
2. एआई से होने वाले नुकसान (जैसे गलत

निर्णय, भेदभाव, दुर्घटना) की कानूनी जिम्मेदारी किस पर तय होगी — डेवलपर, उपयोगकर्ता, कंपनी या एआई सिस्टम?

3. क्या एआई सिस्टम पर लागू होने वाले कानूनी इंसानों और कंपनियों पर लागू कानूनों से अलग होने चाहिए, या उन्हें मौजूदा ढांचे में ही समेटा जा सकता है?

4. डेटा गोपनीयता, प्रोफाइलिंग और निगरानी में एआई के इस्तेमाल पर नागरिकों के मूल अधिकार (Privacy, Freedom of Expression आदि) की रक्षा कैसे होगी?

5. हाई-रिस्क क्षेत्रों (जैसे न्यायिक निर्णय, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, परिवहन) में एआई के इस्तेमाल पर किस स्तर की पूर्व अनुमति, ऑडिट और पारदर्शिता कानूनी रूप से अनिवार्य होनी चाहिए?

यह विचार आकर्षक अवश्य है, लेकिन इसके परिणाम चिंताजनक हो सकते हैं। “एआई के गॉडफादर” कहे जाने वाले वैज्ञानिक योशुआ बेंगियो चेतावनी देते हैं कि एआई को इंसान जैसा दर्जा देना

निर्णय और जवाबदेही — दोनों को धूमिल कर सकता है। यदि भविष्य में कोई स्वचालित वाहन घातक दुर्घटना का कारण बनता है, तो दोषी कौन होगा? इंजीनियर, निर्माता या वह एआई सिस्टम जिसे ‘कानूनी पहचान’ मिल चुकी होगी?

यही वह बिंदु है जहाँ तकनीकी प्रगति और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संघर्ष दिखाता है। एआई में न भावनाएँ हैं, न नैतिक चेतना। यह केवल मानव निर्मित डेटा और निर्देशों पर आधारित गणनात्मक तंत्र है। ऐसे में इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा देना, कानून और न्याय दोनों के सिद्धांतों को अस्थिर कर सकता है।

परिवहन क्षेत्र में यह मुद्दा विशेष रूप से अहम है। एआई-संचालित ट्रेफिक सिस्टम, स्वचालित वाहनों और ड्रोन निगरानी के बढ़ते इस्तेमाल से दक्षता तो बढ़ी है, लेकिन यह सवाल भी तेज हुआ है — अंतिम निर्णय किसका होगा?

*** इंसान का या एल्गोरिथम का ?**
* यदि मशीनें हमारी ओर से निर्णय लेने लगे, तो जवाबदेही किसके पास रहेगी? दुनिया के कई देश



अब एआई गवर्नेंस के लिए कड़े नियम बना रहे हैं। भारत को भी इस बहस को केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से देखना होगा। एआई को एक जिम्मेदार सहायक के रूप में विकसित करना ही मानवता के लिए सुरक्षित और रचनात्मक विकल्प है, न कि उसे कानूनी व्यक्ति का

दर्जा देना।

2. “परिवहन नीति फोकस” स्वचालित वाहनों पर नीति बहस के मुख्य बिंदु

* दुर्घटना की जिम्मेदारी: स्वचालित वाहन के हादसे की स्थिति में दंडात्मक और सिविल जिम्मेदारी किस पर होगी — निर्माता, सॉफ्टवेयर

सोशल मीडिया की लड़ाई

लेखक:- विद्या भूषण भद्राड़ज

आज के डिजिटल दौर में जहाँ सोशल मीडिया ने दुनिया को पास लाकर संवाद को आसान बना दिया है, वहीं कभी-कभी यह छोटी-सी गलतफहमी से बड़े रिश्ते भी कमजोर कर देता है। यही हुआ जगदीश और हरिराम के साथ, जो बचपन से एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी थे। एक दिन जगदीश ने अपने मन की खिन्ना उतारने के लिए एक सामान्य सा स्टेटस डाल दिया, लेकिन हरिराम ने उसे गलत समझकर अपने ऊपर ले लिया और गुस्से में तीखी टिप्पणी कर दी। देखते ही देखते दोस्तों की प्रतिक्रियाएँ भी जुड़ती गईं और

मामला सोशल मीडिया पर एक छोटी चिंगारी से धकती आग बन गया। कुछ ही घंटों में उनकी वर्षों की दोस्ती लोगों के लाइक्स और कमेंट्स के बीच खोती हुई दिखाई देने लगी। रात को दोनों बेचैन हो गए — जगदीश को महसूस हुआ कि स्क्रीन पर लिखा शब्द दिल पर गहरी चोट कर जाता है, और उधर हरिराम को पिता ने समझाया कि “बेटा, जिन रिश्तों को दिल से बनाया जाता है, उन्हें की बोर्ड से नहीं तोड़ा जाता।” अगले दिन दोनों आमने-सामने मिले, आँखें नम थीं। हरिराम ने कहा, “मैंने बिना सोचे और किसी भी गलतफहमी को बढ़ाने की बजाय संवाद का रास्ता अपनाया। असली जीत बहस में नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाने में होती है।

तुझसे बात करनी चाहिए थी।” बस, इतना कहना था कि दोनों की दोस्ती फिर से पहले जैसी खिल उठी।

उन्होंने ठान लिया कि आगे से कोई भी मुद्दा सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि सीधे बैठकर बातचीत करके ही सुलझाएँगे।

शिक्षानीत

इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई लड़ाई कभी समाधान नहीं देती। शब्द लिखने से पहले सोचें, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें और किसी भी गलतफहमी को बढ़ाने की बजाय संवाद का रास्ता अपनाएँ। असली जीत बहस में नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाने में होती है।

हिन्दू राष्ट्र का ‘लोगो’ है लखनऊ का प्रेरणा पार्क

(आलेख : बादल सरोज)

अंततः साल के आखिरी दिनों में लखनऊ को एक और विराट पार्क — बाकी पार्कों से हर तरह से भिन्न पाक — मिल ही गया। स्वयं प्रधानमंत्री इसके दरो-दीवार के बारे में बताने के लिए लखनऊ पहुंचे और संघ-जनसंघ-भाजपा के तीन शिखर पुरुषों पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेई की 65-65 फीट ऊंची प्रतिमाओं वाले इस पार्क का उदघाटन किया। इस मोके पर अपने भाषण में अपनी आदत के अनुरूप मोदी ने चुनाव-चुना का खेल खेला और इन ‘शिखर पुरुषों’ से ज्यादा, सामयिक राजनीति के बीहड़ पर मुखर होकर बोला। कुल 230 करोड़ रूपए खर्च से, कोई 6300 वर्गमीटर में फैले इस पार्क — जिसे प्रेरणा पार्क का नाम दिया गया है — में एक लगभग 98000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला संग्रहालय भी है। इसे भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के आकार में डिजाइन किया गया है।

दावा किया गया है कि इसमें यहां उन्नत डिजिटल तकनीक से भारत की यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। बताया जाता है कि इस ‘दूरदर्शी’ नेताओं के ‘योगदान’ के काल खण्डों को जनसंघ काल, भाजपा काल में भी बांटा गया है। इसका उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि “ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है, जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमाएँ जितनी ऊंची हैं, इनसे मिलनी वाली प्रेरणाएं उससे भी लंबी नहीं हैं।” इधर पश्चिम को “भारतीय राजनीतिक चिंतन, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके ऐतिहासिक योगदान का प्रतीक” बताया गया। हिंदी व्याकरण की भाषा में जब तुलना और तुलना किये जाने वाले में — उपमेय और उपमान में — कोई अंतर नहीं रह जाता, तो जो बनाता है उसे रूपक कहते हैं: यह पाँक और पदार्थ उसी तरह का रूपक, विडम्बना का रूपक है।

कुनबे के साथ असल समस्या यह है कि उसके पास न बताने के लिए कोई विरासत है, न दिखाने के लिए देशहित में किया गया कोई योगदान है, न गिनाने के लिए कोई सचमुच का महान है। इस कमी को छुपाने के लिए कुनबा उठाईगिरी करता रहता है: कभी सरदार पटेल और लालबहादूर शास्त्री को अपने पाले में लाने की, तो कभी अपनों के बीच से दो-चार का जाती रहती है। मगर कुंठा इतनी गहरी है कि जगदीश इतना ही है कि अखंड पहलू के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रचार कर-कर के मोदी ‘जी’ को नेहरू जैसा साबित करने का आब्हान किया जाना शुरू हुआ। परिचार के संचालन, उत्तरदायित्व और सामाजिक दायित्वों के लिए उन्होंने व्यवसाय को माध्यम बनाया, जबकि कला को उसकी पवित्र स्वतंत्रता के साथ सुरक्षित रखा। वे मानते हैं कि जिस दिन कला लाभ की शर्तों में बंध जाती है, उसी दिन उसकी आत्मा सीमित हो जाती है।

दांपत्य जीवन और परिवार

23 जून 1993 को भाई जी का विवाह डिंपल सोनी से हुआ। पत्नी के सरल, सहयोगी और प्रेरणादायक स्वभाव ने उनके जीवन को और संतुलित किया। इस संतुलन के पीछे परिवार का मौन लेकिन सशक्त सहयोग रहा है। पत्नी डिंपल ने उनके भीतर के कलाकार को सदैव समझा और संबल दिया। उन्होंने कभी कला को समय की बर्बादी नहीं मना, बल्कि उसे जीवन का आवश्यक रत्न समझा। बच्चों में भी उन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुरूप ज्वेलरी का व्यवसाय को अपनाया, किंतु व्यावसायिक व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने अपने भीतर के कलाकार को कभी मरने नहीं दिया। पेंसिल और कलागुण आज भी उनके जीवन के अभिन्न अंग बने हैं।

व्यक्तित्व और ‘भाई जी’ की पहचान

पितृपुरुष भी हैं। गांधी हत्याकांड के बाद प्रतिबंधित, लांछित और बहिष्कृत होने के बाद जब आरएसएस ने अपनी राजनीतिक पार्टी — जनसंघ — बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने पूर्ववर्ती राजनीतिक अवतार हिन्दू महासभा के नेता डॉ. मुखर्जी को अपना पहला अध्यक्ष बनाया। इनके ‘योगदान’ से ग्रन्थ के ग्रन्थ भरे पड़े हैं। सुभाष चन्द्र बोस, आजाद हिन्द फौज, स्वतन्त्रता संग्राम के प्रति इनका द्वेष और पिछले अंक में किया जा चुका है। उसे दोहराने की बजाय जिज्ञासा के लिए उनके कुछ ही कामों की बजाय जिज्ञासा के लिए उनके कुनबाधीशों से यह पृष्ठना प्रासंगिक होगा कि इनमें से किसको वे ‘बुलंद प्रेरणादायी’ मानते हैं।

सावरकर साहब की अध्यक्षता वाली हिन्दू महासभा के नेता मुखर्जी इन कथित हिन्दू वीरों द्वारा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चलाई गयी — सिंध, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और बंगाल की — तीन सरकारों में से एक बंगाल की फजलुल हक की अगुआई वाली सरकार में मंत्री बने और मंत्री के रूप में सुभाष बोस की आजाद हिन्द फौज से निवृत्ति और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन को कुचलने की योजनाएँ बना-बनाकर वायसरोय को सौंपते रहे। ध्यान रहे ये जनाब 1940 में फजलुल हक थे, जिन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव पेश किया था। बाद में 1946 में इन्होंने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया।

जिस कश्मीर और धारा 370 के मुद्दे पर जेल में हुई, उनकी मृत्यु को कुनबा शहादत और कुर्बानी बताता है, उस पर भी उनकी भूमिका वैसी नहीं थी, जैसी बताई जाती है। कश्मीर के ताजे इतिहास के दो विशेषज्ञों ने इसे तथ्यों के साथ सप्रमाण उजागर किया है। ए.जी. नूरानी आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, द्वारा प्रकाशित आधुनिक इतिहास प्रस्ताव ‘आर्टिकल 370: ए कार्निस्टेयूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर’ में पेज 480 पर दर्ज करते हैं कि डॉ. मुखर्जी ने 1948 में धारा 370 को समाप्त करने में जवाब देकर स्विकारा था। उन्होंने इस बात से रजामंदी जताई थी कि कश्मीर को स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक ने भी लिखा है कि “डॉ. मुखर्जी कश्मीर को स्वायत्तता देने के समर्थक थे, उन्होंने बाद में आरएसएस के दबाव में अपनी इस राय को बदला था।” कश्मीर के अग्रणी पत्रकार बलराज पुरी ‘द ग्रेटर कश्मीर’ के अपने आलेख में डॉ. मुखर्जी के 9 जनवरी 1953 को लिखे पत्र का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि “हम इस बात पर तुरंत सहमत होंगे कि घाटी में शोख अब्दुल्ला की अगुआई में सरकार को विशेष तरीके से (मतलब धारा 370 के अंतर्गत), तब तक, जब तक वह चाहते हों, चलने दिया जाए, अलबत्ता जम्मू और लद्दाख का भारत के साथ तुरंत एकीकरण करना चाहिए।”

अब यह चहलें हों, चलने दिया जाए, अलबत्ता जम्मू और लद्दाख का भारत के साथ तुरंत एकीकरण करना चाहिए।

पूरे सौ साल के हुए संघ और सत्ता पर कोई दो दशक के परोक्ष-अपरोक्ष वर्चस्व, मीडिया पर लगभग सम्पूर्ण प्रभुत्व के बावजूद किसी महान को खड़ा न कर पाना इस बात का प्रमाण है कि महानता एक ऐसी स्थिति है, जिसे खरीदा या उत्पादित नहीं किया जा सकता। यह पार्क इस कुनबे की इस मामले में अति-दरिद्रता का स्मारक भी है। अब यदि मोदी जी यह दावा करते हैं कि “ये तीनों विशाल प्रतिमाएँ जितनी ऊंची हैं, इनसे मिलनी वाली प्रेरणाएं उससे भी बुलंद हैं”, तो क्यों न लगे हाथ इस बात को जांच कर ही ली जाए कि इन प्रतिमाओं में जिनके नक्शा उभारे गए हैं, उनके ऐसे प्रणय और असाधारण योगदान क्या-क्या हैं, जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है।

शुरुआत शुरू से — उन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी से — ही करते हैं, जो इस कुनबे की राजनीतिक भुजा के

प्रेरणा पार्क में दूसरी मूर्ति पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की है। वक्तव्य कला में निपुण, कहीं न पहुंचाने और अक्सर कुनबे के अपराधों को ढांकने के लिए लिया, तब उन्होंने पूर्ववर्ती राजनीतिक अवतार हिन्दू महासभा के नेता डॉ. मुखर्जी को अपना पहला अध्यक्ष बनाया। इनके ‘योगदान’ से ग्रन्थ के ग्रन्थ भरे पड़े हैं। सुभाष चन्द्र बोस, आजाद हिन्द फौज, स्वतन्त्रता संग्राम के प्रति इनका द्वेष और पिछले अंक में किया जा चुका है। उसे दोहराने की बजाय जिज्ञासा के लिए उनके कुछ ही कामों की बजाय जिज्ञासा के लिए उनके कुनबाधीशों से यह पृष्ठना प्रासंगिक होगा कि इनमें से किसको वे ‘बुलंद प्रेरणादायी’ मानते हैं।

सावरकर साहब की अध्यक्षता वाली हिन्दू महासभा के नेता मुखर्जी इन कथित हिन्दू वीरों द्वारा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चलाई गयी — सिंध, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और बंगाल की — तीन सरकारों में से एक बंगाल की फजलुल हक की अगुआई वाली सरकार में मंत्री बने और मंत्री के रूप में सुभाष बोस की आजाद हिन्द फौज से निवृत्ति और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन को कुचलने की योजनाएँ बना-बनाकर वायसरोय को सौंपते रहे। ध्यान रहे ये जनाब 1940 में फजलुल हक थे, जिन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव पेश किया था। बाद में 1946 में इन्होंने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया।

जिस कश्मीर और धारा 370 के मुद्दे पर जेल में हुई, उनकी मृत्यु को कुनबा शहादत और कुर्बानी बताता है, उस पर भी उनकी भूमिका वैसी नहीं थी, जैसी बताई जाती है। कश्मीर के ताजे इतिहास के दो विशेषज्ञों ने इसे तथ्यों के साथ सप्रमाण उजागर किया है। ए.जी. नूरानी आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, द्वारा प्रकाशित आधुनिक इतिहास प्रस्ताव ‘आर्टिकल 370: ए कार्निस्टेयूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर’ में पेज 480 पर दर्ज करते हैं कि डॉ. मुखर्जी ने 1948 में धारा 370 को समाप्त करने में जवाब देकर स्विकारा था। उन्होंने इस बात से रजामंदी जताई थी कि कश्मीर को स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक ने भी लिखा है कि “डॉ. मुखर्जी कश्मीर को स्वायत्तता देने के समर्थक थे, उन्होंने बाद में आरएसएस के दबाव में अपनी इस राय को बदला था।” कश्मीर के अग्रणी पत्रकार बलराज पुरी ‘द ग्रेटर कश्मीर’ के अपने आलेख में डॉ. मुखर्जी के 9 जनवरी 1953 को लिखे पत्र का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि “हम इस बात पर तुरंत सहमत होंगे कि घाटी में शोख अब्दुल्ला की अगुआई में सरकार को विशेष तरीके से (मतलब धारा 370 के अंतर्गत), तब तक, जब तक वह चाहते हों, चलने दिया जाए, अलबत्ता जम्मू और लद्दाख का भारत के साथ तुरंत एकीकरण करना चाहिए।”

अब यह चहलें हों, चलने दिया जाए, अलबत्ता जम्मू और लद्दाख का भारत के साथ तुरंत एकीकरण करना चाहिए।

पोस्टमार्टम के लिए कानपुर में लाशों का अंबार, मतलब आत्मा के जाने के बाद उसके घर शरीर की दुर्दशा!

सुनील बाजपेई

कानपुर। जन्म के बाद इस संसार में कुछ भी होने, बनने और करने का कारण आत्मा का शरीर धारण करना ही है। और जब इस शरीर की निष्क्रिय यानी मृत्यु के रूप में वह आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर उसकी शांति के लिए अनेक अनेक कर्मकांड भी किए जाते हैं लेकिन अगर सांसारिक व्यवस्थाओं और कारणों को लेकर शव के पोस्टमार्टम जैसी अनिवार्यता होती है तो फिर ऐसा करने के अधिकारी और सक्षम शरीर धारी मतलब धरती के दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की भी जरूरत होती है। और जब भी वे अपने कर्तव्य का पालन समय से नहीं करते तो फिर उस आत्मा विहीन यानी निर्जीव शरीर को दुर्दशा होने जैसे हालातों से भी गुजरना पड़ता है।



को पोस्टमार्टम हाउस पर लाशों को लाइन लग गई। परिजन पोस्टमार्टम के इंतजार में घंटों बैठे रहे। इधर-उधर दौड़ते रहे। लेकिन, डॉक्टर ही नहीं पहुंचे तो पोस्टमार्टम कैसे हो।

मिली जानकारी के मुताबिक शुकुवार सुबह 10 बजे से तीन डॉक्टरों की द्यूटी थी। मगर, सिर्फ एक डॉक्टर पहुंच सकीं। बाकी दो डॉक्टर दोपहर 2 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे ही नहीं। पोस्टमार्टम हाउस में 16 शव पहुंच चुके थे।

कोई सुनवाई न होने पर परिजनों ने

हंगामा करने के साथ ही सीएम ओ से फोन पर शिकायत की जिसके बाद सीएम ओ ने भी फोन पोस्टमार्टम हाउस के प्रभारी से वजह पूछी तो प्रभारी ने डॉक्टरों के नहीं आने की जानकारी दी।

अवगत कराते चलें कि आज शुकुवार को भीषण ठंड में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों और अन्य कारणों से हुई मौतों के बाद पोस्टमार्टम हाउस में सुबह से भीड़ जुटने लगी। दोपहर 2 बजे तक कोतवाली, साढ़, सजेती, छावनी, बाबूपुरवा, कर्नलवांग, चौबेपुर, महाराजपुर, स्वरूपनगर थाना क्षेत्रों से 16 शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहीं पोस्टमार्टम हाउस में एक नई पहचान पर परिजन अपने-अपने शवों के इंतजार में घंटों ठंड में टिडुरते रहे। कुल मिलाकर घंटों बाद शवों का पोस्टमार्टम शुरू किया गया। इस बीच सबसे बड़ नसीब लावारि शव नजर आए, जिनके लिए कहने और आसू बहाने वाला कोई था ही नहीं।

"चेहरे नहीं, चेतना उकेरते हैं: स्केच आर्टिस्ट भाई जी सोनी"

डॉ. रंभुपंवार

कला जब केवल दृश्य न रहकर अनुभूति बन जाए, जब रेखाएँ बोलने लगें और श्केचकार अपने जीवन की घड़कन उतर आए — तब वह साधारण चित्रकला नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। ऐसी ही साधना में लीन है पेंसिल स्केच आर्टिस्ट एल. के. सोनी, जिन्हें कला-जगत और समाज समर्थक ‘भाई जी’ के नाम से जानते हैं। भाई जी किसी औपचारिक कला विद्यालय की उधर नहीं हैं। उनकी कला किसी पाठ्यक्रम की सीमा में बंधी नहीं, बल्कि संस्कार, अनुभव और आत्मागुणान से विकसित हुई है। यही कारण है कि उनकी पेंसिल में दिखाने वाली चमक नहीं, बल्कि गहन संवेदना और संतुलित शिल्प दिखाने वाली है। उनकी कला का मूल आधार — सूक्ष्म अवलोकन है। चेहरे नहीं देखते, वे व्यक्ति को पढ़ते हैं। शायद यही कारण है कि उनके स्केच देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है मानो चित्रकार ने साहजिक और संवाद कर रहा हो। आज के डिजिटल और रंगीन माध्यमों के युग में पेंसिल स्केच को चुनना स्वयं में एक चुनौती है। भाई जी ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, उसे साधना में बदल दिया। उनकी रेखाएँ उनसे उतारना शक्य नहीं होती हैं, नही कमजोर। प्रकाश और छाया का संतुलन, चेहरे की संरचना, आंखों की गहराई और भावों की सूक्ष्मता सब कुछ एक अनुभूति संयम के साथ उभरता है। चेहरे नहीं, चेतना उकेरते हैं। भाई जी की कला को सबसे बड़ा विशेषता यह है कि वे केवल चेहरे की समानता तक सीमित नहीं रहते। वे आँखों में छिपे विचार, मीन में छिपी पीड़ा मुस्कान के पीछे का अनुभव और ललाट पर अंकित समय सब कुछ रेखाओं में उतार देते हैं। कला केवल रंगों या रेखाओं का संयोजन नहीं होती, वह साधना है — जो व्यक्ति के जीवन, संस्कार और संवेदनाओं से जन्म लेती है। ऐसी ही

एक साधना के अन्त्य साधक हैं। भाई जी से बातचीत करने के लिए मैं उनके ही निगरानिवास पर पहुंचा, प्रकृत है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश —

जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

एल के भाई जी का जन्म 14 फरवरी 1969 को राजस्थान के झुंझुड़ जिले के ऐतिहासिक कस्बे चिड़ावा में एक सामान्य स्वर्णकार परिवार में हुआ। भाई जी, बाबूलाल सोनी और सुमित्रा देवी के चार पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र हैं। बचपन से ही वे चंचल, जिज्ञासु और कुशाग्रबुद्धि के धनी रहे। बाल्यावस्था में ही उनके अंदर छिपे कलाकार ने स्वयं को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया था। उन्हें चित्रकारी का गहरा शौक था। उनके पिता श्री बाबू लाल सोनी ने पुत्र की इस रुचि को मात्र शौक न समझकर, एक संभावना के रूप में पहचाना और उसे पूरी प्रोत्साहन दिया। कक्षा 6 से 9 तक विद्यालय स्तर पर निरंतर चित्रकारी में प्रथम स्थान प्राप्त करता, उनके बड़े आभिव्यक्त और प्रतिभा का प्रमाण था। धीरे-धीरे वे मित्रों, परिवारजनों तथा देवी-देवताओं के पेंसिल स्केच बनाने लगे। कला के प्रति उनकी लगन और जुनून ने उनकी प्रतिभा को निरंतर निखार दिया। उन्होंने चिड़ावा कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की।

दिल्ली प्रवास

1991 में उनका परिवार व्यावसायिक कारणों से चिड़ावा से दिल्ली आ गया। यहाँ भाई जी की कला को सबसे बड़ा विशेषता यह है कि वे केवल चेहरे की समानता तक सीमित नहीं रहते। वे आँखों में छिपे विचार, मीन में छिपी पीड़ा मुस्कान के पीछे का अनुभव और ललाट पर अंकित समय सब कुछ रेखाओं में उतार देते हैं। कला केवल रंगों या रेखाओं का संयोजन नहीं होती, वह साधना है — जो व्यक्ति के जीवन, संस्कार और संवेदनाओं से जन्म लेती है। ऐसी ही

उनका सरल, सौम्य और मधुर व्यवहार, कला के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में सक्रिय सहभागिता — इन सभी गुणों ने उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई। यही कारण है कि वे केवल एल के सोनी नहीं, बल्कि स्नेह और सम्मान से ‘भाई जी’ के नाम से पहचाने जाने लगे। संवाद के एक क्षण में वे अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि उनके जीवन में कला और व्यवसाय की सीमाएँ कभी गड़बड़ नहीं रहीं। उनके लिए चित्रकारी व्यवसाय नहीं, साधना रही है। उन्होंने कला को कभी बाजार की माँग या लाभ के तंत्राचर नहीं तोला। परिवार के संचालन, उत्तरदायित्व और सामाजिक दायित्वों के लिए उन्होंने व्यवसाय को माध्यम बनाया, जबकि कला को उसकी पवित्र स्वतंत्रता के साथ सुरक्षित रखा। वे मानते हैं कि जिस दिन कला लाभ की शर्तों में बंध जाती है, उसी दिन उसकी आत्मा सीमित हो जाती है।

दांपत्य जीवन और परिवार

23 जून 1993 को भाई जी का विवाह डिंपल सोनी से हुआ। पत्नी के सरल, सहयोगी और प्रेरणादायक स्वभाव ने उनके जीवन को और संतुलित किया। इस संतुलन के पीछे परिवार का मौन लेकिन सशक्त सहयोग रहा है। पत्नी डिंपल ने उनके भीतर के कलाकार को सदैव समझा और संबल दिया। उन्होंने कभी कला को समय की बर्बादी नहीं मना, बल्कि उसे जीवन का आवश्यक रत्न समझा। बच्चों में भी उन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुरूप ज्वेलरी का व्यवसाय को अपनाया, किंतु व्यावसायिक व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने अपने भीतर के कलाकार को कभी मरने नहीं दिया। पेंसिल और कलागुण आज भी उनके जीवन के अभिन्न अंग बने हैं।

व्यक्तित्व और ‘भाई जी’ की पहचान

प्रदाता, मालिक या ऑपरेटर?

* सुरक्षा मानक और परीक्षण: किस स्तर के सड़क परीक्षण, सिमुलेशन और प्रमाणन के बाद किसी स्वचालित वाहन को सार्वजनिक सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए?

* डेटा और निगरानी: वाहन से जुटाए गए लोकेशन, ड्राइविंग पैटर्न और यात्री डेटा पर किस तरह के गोपनीयता और उपयोग नियम लागू होंगे?

* मानव नियंत्रण की सीमा: आपात स्थिति में मानव हस्तक्षेप की भूमिका क्या होगी, और क्या कानूनन “मैनुअल ओवर राइड” की सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए?

* सार्वजनिक हित और रोजगार: स्वचालित वाहनों से परिवहन दक्षता बढ़ने के साथ-साथ चालकों और सहायक कर्मचारियों के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को नीति में कैसे संतुलित किया जाएगा?

* बुद्धिमत्ता का सच्चा उद्देश्य स्वतंत्र होना नहीं, उत्तर दायी होना है — और यही भेद मनुष्य को मशीन से अलग करता है।

का रोड़ा मानने लगे। आत्मकथा में उन्होंने यह भी लिखा कि उपाध्याय कुछ नेताओं के अनैतिक आचरण और पार्टी में रचरित्रहीन लोगों को बढ़ावा न देने के पक्षधर थे, जिसके कारण वे कुछ स्वार्थी तत्वों के निशाने पर आ गए। मधोक ने यह भी दावा किया कि वाजपेयी और अन्य नेताओं ने उन पर (मधोक पर) दबाव डाला था, हिन्दू राष्ट्र है, हिन्दू राष्ट्र होगा’ के घोष की निरंतरता में पढ़ना और हिन्दू राष्ट्र की उनकी वास्तविक धारणा से जोड़ कर देखा होगा। ज्यादा विस्तार में जाने की बजाय कुनबे के दो सच्चे प्रेरणा स्रोतों की हिन्दू राष्ट्र की प्रस्थापना को ही बांध लेते हैं।

इस तरह यह साफ हो जाता है कि प्रेरणा पार्क का उद्देश्य प्रेरणा-धरणा देने का नहीं, इससे आगे का है और कुनबा और ही है। यह क्या है, इसे समझने के लिए इसी दिसम्बर में कोलकाता में किये संघ सुग्रीमो मोहन भागवत के ‘भारत हिन्दू राष्ट्र था, हिन्दू राष्ट्र है, हिन्दू राष्ट्र होगा’ के घोष की निरंतरता में पढ़ना और हिन्दू राष्ट्र की उनकी वास्तविक धारणा से जोड़ कर देखा होगा। ज्यादा विस्तार में जाने की बजाय कुनबे के दो सच्चे प्रेरणा स्रोतों की हिन्दू राष्ट्र की प्रस्थापना को ही बांध लेते हैं।

इनके आदि पुरुष और हिंदुत्व के जनक सावरकर के अनुसार, “मनुस्मृति वह शास्त्र है, जो हमारे हिन्दू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति-रीति-रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक और देवीय पथ को संहिताबद्ध किया है। आज भी करोड़ों हिन्दू अपने जीवन और व्यवहार में जिन नियमों का पालन करते हैं, वे मनुस्मृति पर आधारित हैं। मनुस्मृति हिंदू कानून है। यह मौलिक है।”

इन्के प.पू. गुरुजी गोलवलकर इसे और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि: “र आज हम अज्ञानतावश वर्ण व्यवस्था को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह इस प्रणाली के माध्यम से था कि स्वामित्व को नियंत्रित करने का एक बड़ा प्रयास किया जा सकता था... समाज में कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ उत्पादन और धन की कमाई में विशेषज्ञ होते हैं और कुछ में श्रम करते हैं और धर देते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज में इन चार व्यापक विभागों को देखा। वर्ण व्यवस्था का अर्थ और कुछ नहीं है, बल्कि इन विभागों को एक उचित समन्वय है और व्यक्ति को एक वंशानुगत के माध्यम से कार्यों का विकास, जिसके लिए वह सबसे उपयुक्त है, अपनी क्षमता के अनुसार समाज की सेवा करने में सक्षम बनाता है। यदि यह प्रणाली जारी रहती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जन्म से ही आजीविका का एक साधन पहले से ही आर्क्षित है।” (ऑर्गनाइजर, 2 जनवरी, 1961, पृष्ठ 5 और 16 में प्रकाशित)

इस हिसाब से देखें तो लखनऊ के बाकी पार्कों में से यह एकदम अ

अलिम्को के सहयोग से दिव्यांगजनों को 5 जनवरी को करमपुरा और 6 जनवरी को मानावाला में वितरित होंगे सहायक उपकरण – एस.डी.एम.

अमृतसर, 2 जनवरी (साहिल बेरी)

अलिम्को द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु पिछले वर्ष जिले के विभिन्न स्थानों पर मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाए गए थे। इन कैंपों के दौरान जिन दिव्यांगजनों का मेडिकल मूल्यांकन किया गया था, उन्हें अब सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इस संबंध में अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करते हुए एस.डी.एम. श्री अमनप्रीत सिंह ने जानकारी दी कि 5 जनवरी को सरकारी प्राथमिक स्कूल रिसोर्स सेंटर करमपुरा तथा 6 जनवरी को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानावाला में असेसमेंट कैंप धारकों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। एस.डी.एम. ने दिव्यांगजनों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों पर संबंधित स्थानों पर अवश्य पहुंचें और अपने सहायक उपकरण प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, ताकि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।



दो सप्ताह का डेयरी प्रशिक्षण कोर्स, काउंसलिंग 5 जनवरी से शुरू – डिप्टी डायरेक्टर

अमृतसर, 2 जनवरी (साहिल बेरी)

कैबिनेट मंत्री, कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास विभाग, पंजाब श्री गुरमीत सिंह खंडूडियां तथा निदेशक, डेयरी विकास विभाग, पंजाब श्री कुलदीप सिंह जसवाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्री वरियाम सिंह, डिप्टी डायरेक्टर डेयरी विकास-कम-इंचार्ज डेयरी प्रशिक्षण एवं विस्तार केंद्र, वेरका के मार्गदर्शन में दो सप्ताह का डेयरी प्रशिक्षण कोर्स

05/01/2026 से 16/01/2026 तक डेयरी प्रशिक्षण एवं विस्तार केंद्र, वेरका में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कोर्स से संबंधित काउंसलिंग 5 जनवरी 2026 को डेयरी प्रशिक्षण एवं विस्तार केंद्र, वेरका में रखी गई है। इस प्रशिक्षण के दौरान दूध से दुग्ध उत्पाद बनाने, डेयरी फार्म प्रबंधन, दुधारू पशुओं की नरसल सुधार, संतुलित पशु आहार तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला अमृतसर के इच्छुक डेयरी फार्मर इस प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थियों को 2 सप्ताह (10 कार्यदिन) का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थी पंजाब का निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (डिजिटल) होना आवश्यक है।

तकनीकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला अमृतसर के इच्छुक डेयरी फार्मर इस प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थियों को 2 सप्ताह (10 कार्यदिन) का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थी पंजाब का निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (डिजिटल) होना आवश्यक है।

पनग्रेन द्वारा जिले में अनाज भंडारण क्षमता में किया गया बड़ा इजाफा – डिप्टी कमिश्नर

1 लाख 80 हजार मीट्रिक टन अनाज भंडारण क्षमता और बढ़ाई गई अमृतसर, 2 जनवरी (साहिल बेरी)

मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगतवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों की फसलों के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में पनग्रेन द्वारा जिले में अनाज भंडारण क्षमता में बड़ा इजाफा किया जा रहा है, ताकि आने वाले सीजन के दौरान किसानों को अनाज भंडारण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर सरदार बलवंदर सिंह ने बताया कि पनग्रेन द्वारा जिले की 7 मंडियों से संबंधित क्षेत्रों में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है। इनमें भगतवाला मंडी में 40 हजार मीट्रिक टन, जौड़ियाला गुरु में 55 हजार मीट्रिक टन, छेहरटा मंडी में 35 हजार मीट्रिक टन, अजनाला मंडी में 15 हजार मीट्रिक टन, रईया मंडी में 5 हजार मीट्रिक टन, मजीटा मंडी में 10 हजार मीट्रिक टन तथा वल्ला मंडी में 20 हजार मीट्रिक टन अनाज भंडारण क्षमता का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार पनग्रेन द्वारा इस सीजन तक कुल 1 लाख 80 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त अनाज भंडारण क्षमता उपलब्ध हो जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता ने पनग्रेन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को शीघ्र पूरा करें, ताकि आने वाले सीजन में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।



पंजाब राज्य खाद्य आयोग नववर्ष पर शुभकामनाएँ, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी

अमृतसर 2 जनवरी (साहिल बेरी)

नववर्ष के अवसर पर पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य विजय दत्त ने जिला प्रशासन को नववर्ष की शुभकामनाएँ प्रेषित कीं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए। विजय दत्त ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम गरीब, वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए एक वैधानिक अधिकार है, जिसे पूरी निष्ठा के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नववर्ष में यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला स्तर पर ADC (Development) न केवल प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) के रूप में भी उनकी जिम्मेदारी अत्यंत अहम है। इस नाते खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का समय पर, निष्पक्ष एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आयोग यह अपेक्षा करता है कि जिला प्रशासन नववर्ष में सकारात्मक, परिणामोन्मुख और जनहितकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा, जिससे समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों को वास्तविक लाभ मिल सके। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के उद्देश्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा जनविश्वास सुदृढ़ होगा।

उन्होंने कहा कि आयोग यह अपेक्षा करता है कि जिला प्रशासन नववर्ष में सकारात्मक, परिणामोन्मुख और जनहितकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा, जिससे समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों को वास्तविक लाभ मिल सके। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के उद्देश्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा जनविश्वास सुदृढ़ होगा।

उन्होंने कहा कि आयोग यह अपेक्षा करता है कि जिला प्रशासन नववर्ष में सकारात्मक, परिणामोन्मुख और जनहितकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा, जिससे समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों को वास्तविक लाभ मिल सके। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के उद्देश्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा जनविश्वास सुदृढ़ होगा।

लांजीबेरना – कुतरा में आदिवासी किसानों के साथ अन्याय के खिलाफ उग्र जनआंदोलन, सरकार को आईना दिखाने उतरे डॉ. राजकुमार यादव

परिवहन विशेष न्यूज

सुंदरगढ़ (ओडिशा): कुतरा प्रखंड के लांजीबेरना क्षेत्र में आदिवासी समाज के किसानों के साथ हुए कथित अन्यायपूर्ण भू-अतिक्रमण, पर्यावरण विनाश और भ्रष्ट तरीकों से जमीन की खरीद के खिलाफ एक मजबूत जनआंदोलन खड़ा हो गया है। इस आंदोलन में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा – ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव, स्थानीय आदिवासी नेता राजेश केरकेट्टा सहित बड़ी संख्या में किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। आंदोलन के दौरान सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि आदिवासी अधिकारों, वन कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर सुनियोजित तरीके से जमीनें छीनी जा रही हैं। डॉ. राजकुमार यादव ने मौके पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल जमीन का सवाल नहीं है, बल्कि आदिवासी अस्मिता, आजीविका, संस्कृति और भविष्य का प्रश्न है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, शमशान घाटों का विनाश, फसलों की तबाही और भ्रष्टाचार की आड़ में अवैध भूमि खरीद जैसे कृत्य किए जा रहे हैं, जो सीधे-सीधे संविधान और कानून का उल्लंघन है।

पेड़ों की कटाई और शमशान घाटों के विनाश पर आक्रोश
आंदोलनकारियों ने बताया कि लांजीबेरना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हरे-भरे पेड़ों को काट दिया गया, जिससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ा है, बल्कि ग्रामीणों की रोजी-रोटी पर भी गहरा असर पड़ा है। इसके साथ ही आदिवासी समाज के पारंपरिक शमशान घाटों को नष्ट किए जाने का आरोप लगाया गया, जिसे समुदाय ने अपनी धार्मिक-सांस्कृतिक आस्था पर सीधा हमला बताया।

डॉ. यादव ने कहा, "जो समाज प्रकृति को मानकर



उसकी पूजा करता है, उसी समाज से उसकी जमीन, जंगल और जल छीना जा रहा है। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है।"

फसलों की तबाही और अवैध जमीन खरीद के आरोप

ग्रामीण किसानों ने आरोप लगाया कि जबरन भूमि कब्जाने की प्रक्रिया में खड़ी फसलों को नष्ट किया गया, जिससे कई परिवार आर्थिक संकट में आ गए हैं। आंदोलनकारियों के अनुसार, कुछ दलालों और प्रभावशाली लोगों द्वारा भ्रष्टाचार के सहारे गलत दस्तावेजों और दबाव की राजनीति से जमीनें खरीदी जा रही हैं। कई मामलों में किसानों को सही जानकारी दिए बिना या भय दिखाकर दस्तखत कराए गए। राजेश केरकेट्टा ने कहा कि आदिवासी समाज को न तो कानूनी सलाह दी गई और न ही ग्राम सभा की सहमति ली गई, जो कि वन अधिकार अधिनियम और पंचायती राज कानून का खुला उल्लंघन है।

सरकार को आईना दिखाते डॉ. राजकुमार यादव

डॉ. यादव ने कहा, "जो समाज प्रकृति को मानकर

डॉ. राजकुमार यादव ने सरकार को सीधे तोर पर आईना दिखाते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में आदिवासी हितैषी है तो उसे तत्काल इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जब तक जांच पूरी न हो जाए, तब तक सभी प्रकार की भूमि खरीद और विकास गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "यदि सरकार ने आदिवासी किसानों की आवाज नहीं सुनी, तो यह आंदोलन जिला, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी केवल परिवहन से जुड़ा संगठन नहीं है, बल्कि यह किसान, मजदूर और वंचित समाज की आवाज है।"

राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क और व्यापक आंदोलन की अपील

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने राष्ट्रीय स्तर के किसान और आदिवासी नेताओं से संपर्क स्थापित करने और इस जनआंदोलन में शामिल होने की अपील की। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई किसी

एक गांव या क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे देश में आदिवासियों के साथ रहे अन्याय के खिलाफ है।

डॉ. यादव ने कहा कि वे इस मुद्दे को केंद्र सरकार, संबंधित मंत्रालयों और मानवाधिकार आयोग तक ले जाएंगे। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और मीडिया से अपील की कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं और आदिवासी किसानों को न्याय दिलाने में भूमिका निभाएं।

एकजुटता और संघर्ष का संकल्प
कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित किसानों और समर्थकों ने एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि जब तक आदिवासी समाज को उनका हक, जमीन और सम्मान वापस नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन शांत नहीं होगा।

लांजीबेरना-कुतरा का यह आंदोलन अब केवल स्थानीय विरोध नहीं रह गया है, बल्कि यह न्याय, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई के रूप में उभर रहा है, जिसमें डॉ. राजकुमार यादव के नेतृत्व ने इसे नई दिशा और राष्ट्रीय पहचान दी है।

करमजीत सिंह रिट्टू ने ग्राम पंचायत एक रूप एवेन्यू के सरपंच और सभी पंचायत सदस्यों को "आप" में करवाया शामिल

रिट्टू ने ग्राम पंचायत एक रूप एवेन्यू में विकास कार्यों के कार्रवाई उद्घाटन

अमृतसर, 2 जनवरी (साहिल बेरी)

इंफ्रामेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन एवं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज कर्मजीत सिंह रिट्टू ने उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती ग्राम पंचायत एक रूप एवेन्यू के सरपंच रमणीक सिंह और सभी पंचायत सदस्य पंचायत की तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। करमजीत सिंह रिट्टू ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण आम आदमी पार्टी के परिवार में लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत एक रूप एवेन्यू में रहते सभी विकास कार्यों का रिज्यू किया गया। उन्होंने पंचायत सदस्यों को हर काम को प्राथमिकता

के आधार पर करने का भरोसा दिया।

करमजीत सिंह रिट्टू ने ग्राम पंचायत एक रूप एवेन्यू में विकास कार्यों के उद्घाटन किए। रिट्टू ने पंचायत के क्षेत्र दशमेश एवेन्यू में पार्क का नवीनीकरण करवाने का शुभारंभ किया। रिट्टू ने कहा कि विकास शुरू करवा कर ग्राम पंचायत के सदस्यों को नव वर्ष का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा जो भी विकास कार्य करवाने के लिए मांग रखी गई है, उसे हर हालत में आने वाले दिनों में पूरा करवाया जाएगा।

इस अवसर पर सरपंच रमणीक सिंह, पंच हरजीत सिंह, पंचायत सदस्य मनप्रीत सिंह, गुरदेव सिंह सुखजिंदर कौर, बलवंदर सिंह, गगन संधू ने कहा कि करमजीत सिंह रिट्टू की कार्यशैली को लेकर पूरी पंचायत आम आदमी पार्टी में शामिल हुई है। इस मौके पर बलवंदर सिंह बल्लरी, नवदीप सिंह, विशाखा सिंह मौजूद थे।



स्लाइट में अमर शहीद संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी का जन्म दिवस पुरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया

लोंगोवाल, 2 जनवरी (जगसीर सिंह) - भारत सरकार के प्रमुख तकनीकी संस्थान स्लाइट में अमर शहीद संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी का 102वां जन्म दिवस पुरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया

इस अवसर पर स्लाइट के परिसर में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सभी कर्मचारी, स्टाफ और छात्रों ने बहुरंगीन भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्लाइट के निदेशक श्री मणिकांत पासवान के मनभाव से संबोधन से हुई। उन्होंने संत लोंगोवाल जी के जीवन आदर्शों, शिक्षा के प्रति समर्पण और समाज सेवा के योगदान



को याद करते हुए कहा कि उनके सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करते हैं। श्री पासवान ने युवाओं से अपील की कि वे संत जी के दिखाए मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।

इस समारोह में संस्थान के सभी कर्मचारी, स्टाफ सदस्यों और छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। विभिन्न विभागों से प्रतिनिधियों ने कविताएं सुनाई, भजन गाए और संत जी के जीवन पर आधारित भाषण दिए, परिसर को फूलों और रंगोली से सजाया गया था, और लंगर भी लगाया गया। पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से गुंज उठा। यह जन्म दिवस समारोह न केवल संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का माध्यम बना, बल्कि स्लाइट परिवार को एकजुट करने का अवसर भी प्रदान किया। संस्थान प्रबंधन ने कहा कि यह परंपरा हर वर्ष जारी रहेगी।

महेश चंद्र सोनक होंगे झारखंड के अगले चीफ जस्टिस

सुप्रीम कोर्ट कोलॉजियम ने दी स्वीकृति

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र सोनक झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलॉजियम ने गुरुवार को उनके नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आठ जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस एमएस सोनक चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे। वह बांबे हाई कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। जस्टिस सोनक को अक्टूबर 1988 में उन्हें महाराष्ट्र एवं गोवा बार कार्डिसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। इसके बाद उन्होंने बांबे हाई कोर्ट की पणजी पीठ में सिविल एवं संवैधानिक कानून, श्रम एवं सेवा कानून, पर्यावरण कानून, वाणिज्यिक एवं कर कानून, कंपनी कानून तथा जनहित याचिकाओं के क्षेत्र में व्यापक प्रैक्टिस की।




नववर्ष 2026 : पंजाब के लिए चेतावनी भी, अवसर भी - ओडिशा से सीखने का समय

नववर्ष केवल तिथि परिवर्तन नहीं होता, बल्कि आत्ममंथन और निर्देश तय करने का अवसर होता है। वर्ष 2026 की दस्तौज पर उड़ा पंजाब आज ऐसे ही एक निर्णायक मोड़ पर है। कृषि और उद्यमशीलता के लिए पखाना जाने वाला यह समृद्ध राज्य आज नशाखोरी, अपराध, युवाओं की बेरोजगारी और विदेश पलायन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि समाधान की दिशा क्या हो।

आर्थिक दृष्टि से पंजाब अभी भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। वर्ष 2024-25 में पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) लगभग 8 लाख करोड़ रहा। राज्य की प्रति व्यक्ति आय २.२५ लाख के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके बावजूद, आर्थिक दृष्टि की रफ्तार अत्यंत धीमी है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि राज्य में युवा बेरोजगारी दर लगभग 18 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। यही दह वर्ग है जो आज सबसे अधिक नो, अपराध और अवैध विदेश पलायन के माध्यम से केंस रहा है।

पंजाब की कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा वर्ग से संबंधित है, किंतु पर्याप्त रोजगार और उच्च अवसरों के अभाव में यह जनसांख्यिकीय लाभ, धीरे-धीरे जनसांख्यिकीय बोझ में बदलता जा रहा है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि देश में जवा की नई कुल रोजगार का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा पंजाब से संबंधित है, जबकि राज्य की आबादी देश की कुल आबादी का मात्र २.३ प्रतिशत है। यह स्थिति केवल काल-व्यवस्था की नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकृतता की ओर भी संकेत करती है। ऐसे समय में आदिवासी का अनुभव पंजाब के लिए एक महत्वपूर्ण सीख प्रस्तुत करता है। कृषि



पिछड़े राज्यों में गिना जाने वाला आदिशा आज सुनिश्चित औद्योगिक नीति, निवेश-अनुकूल वातावरण और अग्रिम-केंद्रित दृष्टिकोण के कारण नई पखाना बना रहा है। वर्ष 2024-25 में आदिशा का जीएसडीपी लगभग 9.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 1.8 लाख हो चुकी है। आदिशा की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने की ठोस रणनीति है। जनवरी 2025 तक राज्य में लगभग 18.7 लाख एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। इसके अतिरिक्त, 4,500 से अधिक स्टार्टअप और 40 इनक्यूबेशन केंद्र सक्रिय हैं, जो युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उदाहरण आदिशा - नेक इन आदिशा कॉन्क्वेर के दौरान 16.73 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों ने यह सिद्ध कर दिया कि स्पष्ट नीति और मजबूत प्रशासन से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है। पंजाब के लिए संदेश स्पष्ट है। कृषि आधारित समृद्धि को उद्योग, एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, उद्यम प्रसंस्करण, टैलेंट रिट्रिक्स, खेत उद्योग और सेवा क्षेत्र से जोड़ना समर्थ की आवश्यकता है। युवाओं को उद्यमिता की ओर मोड़ना केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार की प्रक्रिया है। जब युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनता है, तो वह नशे और अपराध से स्वतः दूर होता है। इस प्रक्रिया में सरावत और निष्पक्ष पुलिसिंग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मजबूत कानून-व्यवस्था न केवल अपराध को नियंत्रित करती है, बल्कि निवेशकों और नए उद्यमियों में विश्वास भी पैदा करती है। जहां सुरक्षा और स्थिरता होती है, वहीं उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं। नववर्ष 2026 पंजाब को यह संकेत देना होगा कि वह अपने युवाओं को विदेश जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि अपने ही राज्य में सपने साकार करने का अवसर देगा। शिक्षा में उद्यमिता, स्थानीय इनक्यूबेशन केंद्र, आराम ऋण व्यवस्था, मेंटरशिप और उद्योग-शैक्षणिक सहयोग—ये सभी कदम मिलकर पंजाब को पुनः प्रगति के रास्ते पर ला सकते हैं। आदिशा ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही दिशा, ठोस नीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति से आर्थिक लक्ष्य नहीं, सामाजिक परिवर्तन भी संभव है। यदि पंजाब इस अनुभव से सीख लेता है, तो आने वाला दशक नशा, अपराध और पलायन का नहीं, बल्कि उद्यमिता, रोजगार और नवयुवाजीकरण का दशक बन सकता है।

डॉ. तपन कुमार साहू प्रिंसिपल, एस डी कॉलेज ऑफ एजुकेशन